राजस्थान सरकार

वार्षिक विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन 1974-75

निदेशालय
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान–बीकानेर

544
370.6
RAJ-V

राजकीय मुद्रणालय, बीकानेर

-544
370.6
RAJ-V

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration,
17-B, Delhi-110016
DOC. No. 1867
Date 26-11-84

वार्षिक विभागीय प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

1974-75

(1) सामान्य परिचय एवं भौगोलिक स्थितिः-

राजस्थान भारत का पश्चिमी सीमावर्ती प्रान्त है। यह 23^{0}3 उतरी अक्षांश से 30^{0}12 उत्तरी अक्षांश तथा 69^{0}30 पूर्व देशांतर से 78^{0}17 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसके उतर में पंजाब, उतर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उतर प्रदेश दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण की ओर गुजरात राज्य है। पश्चिम की ओर इसकी सीमा पाकिस्तान से लगी है।

राजस्थान राज्य 23 देशी रियासतों के एकीकरण से बना। इसका क्षेत्रफल 3,42,274 वर्ग किलो मीटर है जो भारत में मध्य प्रदेश को छोडकर सबसे बड़ा राज्य कहा जा सकता है। इसमें 26 जिले, 232 पंचायत समितियाँ, 157 कस्बे/शहर 33,305 निवास योग्य गाँव तथा 2,490 अनिवासीय गाँव है। 1971 की जन गणना के अनुसार राजस्थान की जन संख्या 257.66 लाख है जिसमें 134.85 लाख पुरुष 122.81 लाख महिलाएँ है, जिनका अनुपात क्रमश 52.72 तथा 47.28 प्रतिशत है। 82.37 प्रतिशत (212.2 लाख [illegible]) जन संख्या ग्रामीण क्षेत्र में और 17.63 प्रतिशत (45.4 लाख) जन संख्या शहरी क्षेत्र मेंनिवास करती है। राज्य में जन संख्या का घनत्व 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो जिला स्तर पर काफी विभिन्नता लिये हुए है। एक तरफ जैसलमेर जिला, जहाँ घनत्व केवल 4 व्यक्ति प्रति किलो मीटर पाया जाता है और दूसरी तरफ भरतपुर जिला है जहाँ का क्षेत्रफल का औसतन घनत्व 184 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर है।

1971 की जन गणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत 19.07 था जिसमें 28.74 पुरुष और 8.46 महिलाएँ है। शहरी क्षेत्र में साक्षरता का प्रतिशत 43.47 था जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह 13.85 प्रतिशत था। अनुसूचित जाति तथा जन जाति में साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 9.14 एवं 6.47 है।

1974-75 में विभिन्न आयु वर्ग में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या निम्न प्रकार रही :-

जन संख्या 1974-75

(लाखों में) (अनुमानित)

आयु वर्ग	जन संख्या			पढ़ने वाले छात्रों की संख्या		
	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग
6- 11	20.70	18.81	39.51	17.19	5.76	22.95
11-14	11.02	9.99	21.11	4.26	0.98	5.24
14-17	9.88	9.13	19.01	2.28	0.48	2.76

(2) शिक्षा विभाग का प्रशासनिक स्वरूप (संगठन)

राज्य के विभागीय प्रशासनिक कार्यों के अनुसार शिक्षा विकास संबंधी कार्य शिक्षा विभाग द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इसे दो मुख्य प्रशासनिक श्रेणियों में बांटा गया है।

प्रथमः कॉलेज शिक्षा और द्वितीयः प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा.

इन दोनों श्रेणियों का प्रशासनिक कार्य दो अलग अलग निदेशालयों द्वारा होता है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रधान कार्यालय बीकानेर में है जिसके निदेशक सत्र 1974-75 में निम्न अधिकारी रहे है :-

(1) श्री आर0एस0 कूम्ट — अप्रेल, 1974 से 6 जुलाई, 1974

(2) श्री सतीश कुमार — 25-7-1974 से 22-10-1974

(3) श्री इन्द्रजीत खन्ना — 1-2-1975 से निरन्तर

निदेशक के प्रशासन में सहायोग एवं सहायता प्रदान करने हेतु प्रधान का कार्यालय में निम्न अधिनस्थ अधिकारीगण कार्य करते है :-

(1) अपर निदेशक - एक

1. डा0 गोपाल कृष्ण — 13-5-74 से 11-11-74

2. श्री सीतासहायक पारीक — 30-11-74 से 30-11-74

(2) संयुक्त निदेशक

1. श्री सीता सहायक पारीक — अप्रेल, 74 से 30-11-74
2. श्रीमती यज्ञवती मित्तल — 15-5-75 से मार्च, 1975

1) अपर निदेशक

2) संयुक्त निदेशक

3) उप निदेशक (प्राथमिक)

4) उप निदेशक (माध्यमिक)

5) उप निदेशक (सामान्य प्रशासन)

6) उप निदेशक (कनिष्ठ) योजना)

7) उप निदेशक (सर्वेक्षण)

8) उप निदेशक (सांख्यिकी)

9) उप निदेशक(समाज शिक्षा)

10) वरिष्ठ लेखाधिकारी

11) लेखाधिकारी

12) वरिष्ठ उप विद्यालय निरीक्षक (वरिष्ठता)

13) वरिष्ठ उप विद्यालय निरीक्षक (शिक्षक प्रशिक्षण)

14) निजी सहायक (निदेशक)

15) सम्पादक (विभागीय प्रकाशन)

16) सहायक लेखाधिकारी - I

17) सहायक लेखाधिकारी - II

18) सहायक लेखाधिकारी - III

19) विद्यालय निरीक्षक (खेलकूद प्रशिक्षण)

20) उप विद्यालय निरीक्षक (शारीरिक शिक्षा)

21) ,, (विधि)

22) ,, (अनुदान)

23) ,, (स्थापन)

24) ,, (प्रकाशन)

25) प्रशासनिक अधिकारी (योजना)

26) सहायक निदेशक (अल्प बचत)

27) सहायक निदेशक (समाज शिक्षा)

(2) [illegible]

1. [illegible] [illegible] 10-11-[illegible]

2. [illegible] 15-5-75 [illegible]

<u>जिला स्तरीय प्रशासनः</u>

क्षेत्रानुसार शिक्षा प्रशासन विभाजन की भाँति राज्य में जिला स्तर पर भी शिक्षा प्रशासन का विकेन्द्रीयकरण किया गया है। क्षेत्रानुसार जयपुर-अजमेर क्षेत्र में महिला व पुरुष का क्रमशः एक-एक पद संयुक्त निदेशक का रखा गया है और जोधपुर एवं बीकानेर, उदयपुर -कोटा मेंपुरुष व महिला के एक एक पद उप-निदेशक का रखा गया है।

प्रत्येक जिला स्तर पर एक एक पद विद्यालय निरीक्षक का रखा गया है जो अपने अपने जिले का शिक्षा प्रशासन का कार्यभार वहन करते है। जयपुर जिले में कार्यभार की अधिकता और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ विद्यालय निरीक्षक का एक अतिरिक्त पद रखा गया है।

क्षेत्र क्षेत्रफल एवं कार्यभार की अधिकता वाले जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षक की सहायतार्थ एक एक वरिष्ठ उप निरीक्षकों के पदों का सृजन किया गया है। ब्यावर, सवाई माधोपुर, धोलपुर और राजसमन्द उप जिलों में प्रत्येक में एक एक वरिष्ठ उप निरीक्षक का पद रखा गया है। अनूपगढ में एक उप निरीक्षक के पद का सृजन किया गया है जो शिक्षा में पिछडे इस क्षेत्र में शिक्षा विकास की दृष्टि से आवश्यकता था।

राज्य में स्त्री शिक्षा के विकास पर व्यक्तिगत ध्यान दिया गया है और स्त्री शिक्षा के विकास हेतु निम्नलिखित प्रशासनिक व्यवस्था की गयी है।

तीन जिलों - अजमेर, बीकानेर एवं कोटा में कन्या विद्यालय निरीक्षिकाओं के पदों का प्रावधान है। अन्य जिलों में कन्या उप विद्यालय निरीक्षिकाएँ कार्य करती है। जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर, सीकर, पाली एवं चितौडगढ, गंगानगर सवाई माधोपुर एवं झालावाड इन दस जिलों में इस प्रकार के कार्यालयों की स्थापना की गई है।

विशेष एजेंसीज्

शिक्षा विकास के उपरोक्त प्रशासनिक ढांचे के अतिरिक्त राज्य में कुछ विशेष प्रकार की शिक्षा संस्थायें भी कार्यरत है । ये विशेष संस्थायें - विशेष प्रकार के कार्यों द्वारा राज्य में शिक्षा विकास में अपना योगदान देती है ।

राज्य में कार्यरत विशेष शिक्षा संस्थाओं का विवरण निम्न प्रकार से है:

क्र0सं0	संस्था का नाम	मुख्यालय	स्टाफ
1)	राज्य शैक्षणिक एवं व्यवसायिक निर्देशन केन्द्र	उदयपुर	1. उप निदेशक - 1 2. काउन्सलर - 3 3. मनोवैज्ञानिक - 1
2)	राज्य शिक्षा संस्थान	उदयपुर	1. निदेशक - 1 2. उप निदेशक - 1 3. कनिष्ठ ,, उप निदेशक 1 4. अनु. अधिकारी - 4 5. सहायक निदेशक 4
3)	राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान	उदयपुर	1. निदेशक 1 2. वरिष्ठ व्याख्याता 1 3. प्राचार्य ,, 1 4. व्याख्याता 4
4)	राज्य मूल्यांकन इकाई	उदयपुर	1. मूल्यांकन अधिकारी 1 2. अनुसंधान ,, 3
5)	राज्य शिक्षा संस्थान (पत्राचार शाखा)	उदयपुर	1. उप निदेशक 1 2. सहायक निदेशक 5
6)	राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक मंडल	जयपुर	1. सचिव 1 2. शिक्षा अधिकारी 1
7)	अल्प भाषा	बीकानेर	1. शिक्षा अधिकारी 1

(3) वर्ष में महत्वपूर्ण प्रशासकीय परिवर्तनः

(1) अपर निदेशक का नया पद दिनांक 11-5-74 से स्वीकृत हुआ है ।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं माध्यमिक विद्यालय व इसके समकक्ष पदों के लिए 324 व्यक्तियों का सीधी भर्ती द्वारा चयन करने की नियुक्ति हेतु अनुशंसा की ।

(3) प्रशासन में सुधार हेतु गंगानगर, सवाई माधोपुर, और झालावाड में अलग अलग बालिका विद्यालय उप निरीक्षिका के कार्यालय स्थापित किये गये

(4) पंचायत समितियों की प्राथमिक शालाओं के मार्गदर्शन व प्रशासन में सुधार हेतुप्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ विद्यालय उप निरीक्षक एवं एवं कर्मचारियों के नये पद सृजित किये गये ।

(5) अन्यः राजस्थान शैक्षणिक सेवा नियम 1970 में दिनांक 17-6-74 को संशोधन किया गया । इन नियमों में एक परिशिष्ठ के स्थान पर तीन परिशिष्ठ आरम्भ किये गये क्रमशः छात्र संस्थाओं के पद, छात्राओं की संस्थाओं के पद तथा सामान्य पद का अलग अलग उल्लेख किया गया ।

(6) प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय एवं समकक्ष पदों के लिए पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए वरिष्ठ अध्यापकों तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के लिए 20:80 का अनुपात नियम लागू किया गया । राज्य सरकार के प्रपत्र संख्या 23(6)ग्रुप-2/74 दिनांक 21-6-74 द्वारा स्थानान्तरण की एक स्थाई नि नीति बनाई गई । प्रशासकीय अधिकारी सम्मेलन जो दिसम्बर 1974 में सम्पन्न हुआ उसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया ।

(ए) गोपनीय प्रतिवेदन का एक पूरक प्रारूप निश्चित किया गया.

(बी) पंचायत समितियों को दस लाख रुपयों का अनुदान फर्नीचर सामग्री और टिचिंग ऐड क्रय करने हेतु आवंटित किया गया और निर्देश दिये गये कि इस राशि को 31-3-75 तक उपयोग करलें ।

(सी) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी शारिरिक शिक्षा अध्यापक का एक पद रखने का निर्णय लिया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि शहर में जिन शालाओं के पास अपना खेल का मैदान नहीं है उन्हें खेल के लिए कई स्कूलों से सम्बद्ध करके

(इ) परीक्षा नियमों में सुधार किया गया और 8वीं कक्षा की परीक्षा में अब प्राईवेट छात्र छात्रायें भी सम्मिलित हो सकती है ।

(ई) प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को निर्दिष्ट विशेष वेतन शहरी/ग्रामीण और दुर्गम स्थानों के अनुसार बढ़ोतरी करने की अनुशंसा सम्मेलन ने की । प्रशासकीय अधिकारियों का और अधिक विकेन्द्रीकरण मण्डल एवं जिला अधिकारियों में करने की अनुशंसा सम्मेलन ने की ।

(4) <u>वितीय क्षे प्रगति:</u>

निम्न सारणी द्वारा क्षेत्र में हुई शिक्षा सम्बन्धी प्रगति का बोध होता है ।

(रुपये लाखों में)

मद	वास्तविक व्यय 1973-74	अनुमानित बैजट 1974-75	संशोधित बजट 1974-75	वास्तविक व्यय 1974-75
व्यय				
आयोजना गत	3845.66	5069.74	5554.15	5544.99
योजना गत	548.12	380.00	358.52	351.77
आय (प्राप्तियाँ)	60.70	98.24	104.70	109.83

(5) <u>जिला स्तर पर प्रशासनिक वार्षिक योजनायें:</u>

शिक्षा सत्र 1974-75 , पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष था । इस वर्ष में योजना के लिए 380.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था परन्तु विभागीय आंकड़ों के अनुसार 358.52 लाख रुपयों का अनुमानित व्यय हुआ । विभिन्न योजनाओं के मद में जो प्रावधान रखा गया है वह निम्नांकित है :-

सारणी सं0-1 योजना बजट

(रुपये लाखों में)

क्र0सं0	मद	बजट प्रावधान	अनुमानित व्यय
1)	प्राथमिक शिक्षा	333.50	326.81
2)	माध्यमिक शिक्षा	42.90	29.47
3)	अन्य शैक्षणिक योजनायें	3.60	2.24
		380.00	358.52

(6) शैक्षणिक प्रगतिः

(अ) प्राथमिक शिक्षाः

इस वर्ष प्राथमिक शिक्षा में कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं प्रगति निम्न वत् है :-

(1) इस वर्ष 3 सहायता प्राप्त प्राथमिक शालाओं को राज्याधीन किया गया ।

(2) 30 नई प्राथमिक शालायें खोली गयी जिनमें 21 ग्रामीण क्षेत्रों में है ।

(3) विज्ञान विषय के गुणात्मक सुधार हेतु यूनिसेफ की सहायता से 1250 प्राथमिक शालाओं में विज्ञान शिक्षण के किट दिये गये तथा अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया ।

(4) प्राथमिक शालाओं में प्रशासन को सुदृढ करने एवं पर्यवेक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से 27 वरिष्ठ उप जिला निरीक्षकों के पद सृजित किये गये ।

(5) पंचायत समिति के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा का विकास तीव्र गति से हो सके एवं विद्यालय समृद्ध हो सके उसके लिए पंचायत समितियों को शिक्षा कर लगाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए। रुपये 4.85 लाख का प्रावधान पंचायत समितियों के मैचिंग ग्रान्ट देने के लिए किया गया ।

(6) इस वर्ष महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ कि ऐसे बालक जो कतिपय कारणों से नियमित शिक्षा से वंचित रह गये उनके लिये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था की गयी। राज्य में 6 जिलों में बारह अनवरत शिक्षा केन्द्र तथा 300 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र आरंभ किये गये।

(7) इस सत्र में प्राथमिक शालाओं की अनुमानित संख्या 19,522 रही, जिनमें से 18,627 छात्रों की और 895 छात्राओं की थी।

(8) इन शालाओं में पढ़ने वाली अनुमानित छात्र संख्या क्रमशः 22.95 लाख रही जिसमें 17.19 लाख छात्र एवं 5.76 लाख छात्रायें थी

(9) अगर इन शालाओं में अध्ययन करने वाली छात्र संख्या के प्रतिशत पर दृष्टिपात किया जावे तो निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते है :-

सत्र में शाला जाने वाले छात्र/छात्राओं का अनुमानित प्रतिशत 58.11 रहा जिसमें 83.04 छात्र और 30.62 छात्राओं का प्रतिशत रहा।

(10) वर्ष 1974-75 के सितम्बर माह में नामांकन अभियान आयोजित किया गया जिसमें राज्य के अन्य विभागों का भी सहयोग प्राप्त हुआ तथा दो लाख नये बालकों के विद्यालय में प्रवेश का लक्ष्य रखा गया। नामांकन अभियान एवं अतिरिक्त कक्षा खोलने के लिए 130 अतिरिक्त अध्यापकों के पद स्वीकृत किये गये।

(ब) <u>उच्च प्राथमिक</u>

(1) इस सत्र में उच्च प्राथमिक शालाओं की कुल अनुमानित संख्या 5029 रही जिनमें 4381 छात्र एवं 648 छात्राओं की थी।

(2) इन शालाओं में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं की कुल अनुमानित संख्या 5.24 लाख रही जिसमें 4.26 लाख छात्र और 0.98 लाख छात्रायें थी।

(3) अगर उपरोक्त छात्र संख्या का पाठशाला जाने के आधार पर प्रतिशत ज्ञात किया जावे तो यह प्रतिशत 24.32 था जिसमें 38.65 प्रतिशत छात्र और 9.71 प्रतिशत छात्रायें थी।

(4) विज्ञान शिक्षण के गुणात्मक सुधार हेतु युनिसेफ की सहायता से 760 उच्च प्राथमिक शालाओं में विज्ञान शिक्षण के किट दिये गये तथा अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया।

(5) इस वर्ष 111 प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया गया जिसमें से एक उच्च प्राथमिक शाला राजस्थान शहरी क्षेत्र में है।

(6) जो उच्च प्राथमिक शालाएं 1972-73 से 1974-75 में क्रमोन्नत हुई उसमें कक्षा 6, 7 व 8 के लिए तृतीय वेतन श्रृंखला के 3870 अध्यापकों के पद सृजित किये गये ।

(ब) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा

(1) इस सत्र में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शालाओं की कुल अनुमानित संख्या 1421 रही जिनमें 1197 छात्र और 224 छात्राओं की थी.

(2) इन शालाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों की अनुमानित संख्या 2.76 लाख रही जिनमें 2.28 लाख छात्र और 0.48 लाख छात्राओं [illegible] थी ।

(3) प्रतिशत की दृष्टि से शाला जाने वाले छात्रों का कुल अनुमानित प्रतिशत 14.51 था जिनमें 23.07 प्रतिशत छात्र और 5.25 प्रतिशत छात्रायें थी ।

(4) इस सत्र में चार उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं के रूप में क्रमोन्नत किया गया जिनमें से दो राजस्थान नहर क्षेत्र में थी तथा दो जन सहयोग के आधार पर क्रमोन्नत की गई ।

(5) निम्न प्रकार से माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शालाओं में अतिरिक्त विषय प्रारम्भ किये गये :-

1) विज्ञान	-	8
2) वाणिज्य	-	78
3) कला	-	16
4) कृषि	-	1

(6) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में साज सज्जा के लिए 6.80 लाख रुपये स्वीकृत किये गये ।

(7) छात्रों में अपना रोजगार स्वयं चलाने तथा शिक्षा को व्यावसायिक बनाने की दिशा में 6 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वोकेशनल पाठ्यक्रम चालू किया गया जिसके अन्तर्गत छात्रों को मोटर वाइंडिंग रेडियो ट्रांजिस्टर रिपेयर, ऑटोमोबेनिकल, ड्रेस डिजाईनिंग तथा सेक्रेटेरियल प्रेक्टिसेज के व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है । इस कार्यानुभव पर 2.64 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया ।

(8) हस्तकला शिक्षा,

राज्य में हस्तकला विद्यालय क्रमशः जयपुर और उदयपुर में चल रहे है । इन दोनों संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या 217 रही जिसमें 185 छात्र और 28 छात्रायें थी । इन दोनों की सम्मिलित अध्यापकों की संख्या 26 रही जिसमें 24 पुरुष और 2 महिलाएँ है।

(9) अन्य विशिष्ठ विद्यालय

शिक्षा के विशिष्ठ अंगों को श्रेष्ठता एवं सौन्दर्यता प्रदान करने हेतु राज्य में विभिन्न विशिष्ट विद्यालय/महाविद्यालय कार्य कर रहे है जिनका तीवस्तृत विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है :-

नाम	छात्र संख्या			अध्यापक संख्या		
	छात्र	छात्रायें	योग	पुरूष	महिला	योग
1) राजस्थान फाईन आर्ट्स स्कूल जयपुर	34	11	45	8	2	10
2) जनता कॉलेज डबोक, उदयपुर	428	-	428	7	-	7
3) राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर	105	29	134	10	2	12
4) मूक एवं बधिर तथा अन्य विद्यालय (6 संस्थायें)	240	40	280	44	7	51

10) तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा:

इस सत्र में 6 पोलोटेकनिक विद्यालय एवं 15 आई0टी0आई0 विद्यमान है जिसमें छात्र संख्या क्रमशः 1985 एवं 2691 तथा अध्यापक संख्या क्रमशः 215 और 284 रही । इन छात्रों को व्यवसाय सम्बन्धि विभिन्न ट्रेडस् का कार्य सिखाया जा है ।

व्यवसायिक शिक्षा हेतु इस सत्र में 34 शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय चल रहे थेः जिसमें 27 छात्रों के और 7 छात्राओं के विद्यालय थे इन विद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 6351 थी जिसमें 3781 छात्र एवं 1570 छात्रायें थी । अध्यापक संख्या 352 थी जिसमें 298 पुरूष एवं 54 महिला अध्यापक कार्यरत थे ।

राज्य में 19 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय थे जिसमें 17 छात्र एवं 2 छात्राओं के थे । इन महाविद्यालयों में छात्र संख्या 3695 थी जिसमें से 2570 छात्र और 1125 छात्रायें प्रशिक्षण ले रही थी । अध्यापक संख्या 328 रही जिसमें 254 पुरूष एवं 74 महिला अध्यापक कार्यरत थे ।

(11) प्रकाशनः

इस निदेशालय द्वारा निम्न पत्र /पत्रिकाओं का नियमित प्रकाशन होता है :-

(1)	शिविरा पत्रिका	मासिक 25,000 प्रतियाँ
(2)	नया शिक्षक	त्रैमासिक 8,500 प्रतियाँ
(3)	शिक्षक दिवस प्रकाशन	समयानुसार
	(क) रोशनी बांट दो	1500 प्रतियाँ
	(ख) अपने आस पास	1500 ,,
	(ग) रंग रंग बहुरंग	1500 ,,
	(घ) आखड़ी	1500 ,,
	(ङ) आँधी और आस्था और भगवान महावीर उपन्यास	1500 ,,

उपरोक्त प्रकाशन क्रम संख्या 1 से 3 तक का प्रकाशन की बजट में अलग से प्रावधान है इस क्रम में प्राप्तियों के शीर्षक के अन्तर्गत अनुमानित बजट 3,07,300 रुपये रखा गया जबकि वास्तिविक व्यय 2,43,236 रुपया रहा इसी तरह बजट के आयोजना शीर्षक के अन्तर्गत सन्दर्भ में अनुमानित प्रावधान 2,64,000 रु0 रखा गया जबकि वास्तविक व्यय 2,30,423 रुपये रहा ।

(12) शारीरिक शिक्षाः

शारीरिक शिक्षा केक्षेत्र में इस सत्र (1974_75) में 20वीं शीतकालीन राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता जो दिनांक 2 नवम्बर से 7 नवम्बर, 1974 तक आगरा (यू0पी0) में आयोजित की गई में 50 छात्र एवं 32 छात्राओं का एक कन्टिजेंट को भाग लेने के लिए भेजा गया । प्रतियोगिता में टेबिल टेनिस के छात्र/छात्राओं ने कांस्य पदक प्राप्त किया ।

विभाग द्वारा दिनांक 2 से 12 अक्टूबर 1974 तक मण्डल स्तरीय खेल कूद प्रशिक्षण शिविर बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा एवं उदयपुर में आयोजित किए गये ।

राज्य सरकार की स्वीकृति के आधार पर 2 अक्टूम्बर, 1974 से सादुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर में एक स्पोर्ट्स स्कूल प्रारम्भ किया गया तथा राज्य में सात स्थानों पर क्रीडा संगम (स्पोर्ट्स कोम्पलेक्स) प्रारम्भ किए गये है जो कि ठीक ढंग से चल रहे है ।

राज्य सरकार की स्वीकृति पर चूर्ण वर्ष विभिन्न खेलों की प्रशिक्षण योजना (राउण्ड दी ईयर कोचिंग स्कीम) के अन्तर्गत निम्नलिखित 9 केन्द्रों पर वर्ष 1974-75 के उनके नाम के आगे खेलों में प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ किए गये :-

(1)	राजकीय बालिका उ0मा0वि0, बीकानेर	बॉस्केट बाल
(2)	राजकीय बालिका महारानी उ0मा0वि0 बन्नी पार्क, जयपुर	वॉलीबॉल
(3)	राजकीय उच्चमा0वि0, भरतपुर	हॉकी
(4)	राजकीय उ0मा0वि0, भीममण्डी, कोटा	हॉकी
(5)	हाज0 उ0मा0वि0, भीलवाड़ा	वॉलीबॉल
(6)	राजकीय उ0मा0वि0, नोहर, गंगानगर	फुट बाल
(7)	राजकीय उ0मा0वि0, अजमेर	बॉस्केट बॉल
(8)	राजकीय उ0मा0वि0, राजगढ़, चूरू	एथेलेटिक्स
(9)	राजकीय उ0मा0वि0, झुन्झुनु	कबड्डी एवं कुश्ती

(क्रम संख्या 8 एवं 9 के केन्द्र जुलाई, 75 से चालू किए गये है)

(13) वि वि ध

राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक मण्डल जयपुर, शिक्षा विभाग के एक अंग के रूप में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक (कक्षा 1 से 8 तक) के लिए पाठ्य पुस्तकें, शैक्षणिक सन्दर्भिकाओं एवं साहित्य के निर्माण, प्रकाशन तथा वितरण का कार्य करता है । सत्र 1974-75 में मण्डल में विभिन्न क्षेत्रों में जो नवीन व्यवस्थायें एवं कार्य किये गये उनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है ।

(1) पाठ्य पुस्तकों के वितरण में शीघ्रता व सुगमता लाने की दृष्टि से नये वितरण केन्द्र खोले गये ।

(2) इस वर्ष मण्डल को स्वायत शासी संस्था के रूप में पुनर्गठित किया गया है । स्वायत शासी संस्था होने पर मण्डल अधिक गतिशील एवं कुशलता से पुस्तकों के लेखन, चयन, मुद्रण और समय पर उपलब्धी के लिए प्रयत्नशील है ।

(3) इस सत्र में अनुदान अनुभाग द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को दिये गये अनुदान की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

1. प्राथमिक इस मद में निजी प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं का आयोजना मद का व्यय 99,35,890/- रूपया रहा
2. माध्यमिक इस मद में गैर सरकारी माध्यमिक शालाओं में आयोजनागत मद व्यय 1,42,03,800 रू० रहा ।
3. विश्व विद्यालय तथा अन्य उच्च शिक्षा: इस मद का आयोजनागत व्यय 7,72,000/- रहा
4. विशिष्ठ विद्यालयों का आयोजनागत व्यय इस सत्र में 28,62,900/- रूपया रहा ।

इस प्रकार अनुदान विभाग द्वारा इस सत्र में विभिन्न संस्थाओं पर किया गया कुल व्यय 2,77,74,500 रूपये रहा ।

इस सत्र में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त मामलों पर निम्न प्रकार कार्यवाही की गई ।

	मामले प्राप्त	निपटाये	शेष
(1) राजस्थान सतर्कता आयोग से प्राप्त	-	-	-
(2) जन अभियोग निराकरण विभाग जयपुर	35	3	32
(3) लोक आयुक्त, सचिवालय, जयपुर	-	-	-
(4) निदेशक, अभाव अभियोग, मुख्य मंत्री कार्यालय, जयपुर	115	30	85
(5) परिवेदनायें सीधे ही प्राप्त	67	23	44

(6) कार्यानुभव योजना 95 शालाओं में चल रही है । इस योजना के अन्तर्गत चाक बनाना, टाट पट्टी, कुर्सियों की बैंते बनाना, लिफाफे व पेड बनाना आदि का कार्य होता है । इस सत्र में किसी भी विद्यालय को कोई राशी का आवंटन नहीं किया गया है ।

(7) अध्यापकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है इस सत्र में (1974-75) तीन अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार एवं 22 अध्यापकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है । इसमें 500 रुपये का नकद भुगतान प्रत्येक अध्यापक को दिया जाता है ।

(8) पैनल सुपरवीजन सत्र 1972-73 से शुरू किया गया जिलेवार दल गठित किये जा चुके है और कार्यवाही चालू है ।

(9) निदेशलय द्वारा इस सत्र में 1-4-74 से 31-3-75 तक निम्न वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन किया गया :-

क्र0सं0	वरिष्ठता सूची	अस्थाई की दिनांक	स्थाई की दिनांक
(1)	दिनांक 1-11-56 से 31-8-61 (म.) द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों की तथा शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की वरिष्ठता सूची	11-3-75	20-5-75
(2)	अनुदेशकों (पुरुष) की वरिष्ठता सूची	11-3-75	2-6-75
(3)	वरिष्ठ अध्यापक (महिला) 1-11-56 से 30-6-66 तक	11-3-75	13-5-75
(4)	,, (पुरुष) 1-11-56 से 30-6-66 तक	11-3-75	20-5-75
(5)	एफ ग्रुप के अधिकारियों की संयुक्त वरिष्ठता 1-1-50 से (विलीनीकरण) 14-1-63 तक	12-2-74	2-9-74
(6)	शारीरिक शिक्षा पुरुष/महिला अधिकारियों की सूची	9-4-75	3-9-75

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
P... ...n
17-... ...016
DOC... 1867